

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू-अभिलेख एवं परिमाण निदेशालय)

सं०सं० - 01/भू०अ०नि० (3) रा० स्था० (पद०/प्रति०)-11/2026..... पटना, दिनांक 17/08/2026

आदेश

बिहार विशेष सर्वेक्षण सर्वेक्षण अन्तर्गत बिहार राज्य के 38 जिलों में विशेष सर्वेक्षण कार्य किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री, बिहार द्वारा प्राथमिकता के आधार पर राज्य के 05 जिलों यथा-जहानाबाद, अरवल, लखीसराय, शेखपुरा एवं शिवहर में दिनांक 15.08.2026 तक कार्य पूर्ण करने का निदेश दिया गया है।

कार्य की महत्ता के दृष्टिगत विभिन्न जिलों के बन्दोबस्त कार्यालयों में सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी एवं राजस्व अधिकारी-सह-कानूनगो के पद पर कार्यरत निम्नांकित पदाधिकारियों को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-5 में अंकित कार्यालय में अगले आदेश तक के लिए प्रतिनियुक्त किया जाता है :-

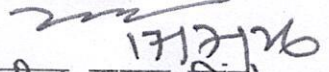
क्र०सं०	कर्मि का नाम	पदनाम	वर्तमान पदस्थापन	प्रतिनियुक्त कार्यालय
1	2	3	4	5
1	श्री रोहन रंजना सिंह	सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी	बन्दोबस्त कार्यालय, मुजफ्फरपुर	बन्दोबस्त कार्यालय, शिवहर
2	सुश्री स्नेहा	सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी	बन्दोबस्त कार्यालय, मुजफ्फरपुर	बन्दोबस्त कार्यालय, शिवहर
3	श्री अमीत कुमार	राजस्व अधिकारी-सह-कानूनगो	बन्दोबस्त कार्यालय, गया जी	बन्दोबस्त कार्यालय, जहानाबाद
4	श्री सुमीत कुमार आशीष	सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी	बन्दोबस्त कार्यालय, अरवल	बन्दोबस्त कार्यालय, जहानाबाद
5	श्री मो० नोमान	सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी	बन्दोबस्त कार्यालय, शेखपुरा	बन्दोबस्त कार्यालय, लखीसराय
6	श्री विजय राम	राजस्व अधिकारी-सह-कानूनगो	बन्दोबस्त कार्यालय, पटना	बन्दोबस्त कार्यालय, लखीसराय
7	श्री अरविंद कुमार	राजस्व अधिकारी-सह-कानूनगो	बन्दोबस्त कार्यालय, गया जी	बन्दोबस्त कार्यालय, अरवल
8	श्री राजेन्द्र कुमार	राजस्व अधिकारी-सह-कानूनगो	बन्दोबस्त कार्यालय, सहरसा	बन्दोबस्त कार्यालय, किशनगंज
9	श्री राम लाल सिंह	राजस्व अधिकारी-सह-कानूनगो	बन्दोबस्त कार्यालय, पटना	बन्दोबस्त कार्यालय, कटिहार

2. बिहार विशेष सर्वेक्षण बन्दोबस्त अधिनियम, 2011 (यथा संशोधित 2017 एवं 2025) तथा नियमावली, 2012 (यथा संशोधित 2019 एवं 2026) के अंतर्गत विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त के कार्यों के लिए उक्त पदाधिकारियों को शक्ति प्रदत्त की जा सकती है।

3. संबंधित बन्दोबस्त पदाधिकारी से अनुरोध है कि संबंधित प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों को स्तम्भ-5 में अंकित कार्यालय में योगदान करने हेतु अविलम्ब विरमित करेंगे।

4. संबंधित सभी प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों को निदेश दिया जाता है कि प्रतिनियुक्त कार्यालय में बिना पारगमन अवधि का उपभोग किये अविलम्ब योगदान देना सुनिश्चित करेंगे।

5. प्रस्ताव पर निदेशक, भू-अभिलेख एवं परिमाण का अनुमोदन प्राप्त है।
6. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

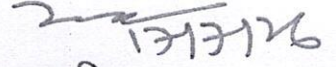

(रवीन्द्र कुमार सिंह)

उप सचिव

भू-अभिलेख एवं परिमाण

ज्ञापांक :- 01/भू0अ0नि0 (3) रा0 स्था0 (पद0/प्रति0)-11/2026..... पटना, दिनांक :-

प्रतिलिपि :- सभी संबंधित प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।


उप सचिव

भू-अभिलेख एवं परिमाण

ज्ञापांक :- 01/भू0अ0नि0 (3) रा0 स्था0 (पद0/प्रति0)-11/2026..... पटना, दिनांक :-

प्रतिलिपि :- सभी संबंधित बंदोबस्त पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


उप सचिव

भू-अभिलेख एवं परिमाण